

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.10(32)आयु./2018

जयपुर, दिनांक :- 09 JUL 2019

:- आदेश :-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)वित्त/नियम/1998 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशों के तहत वर्ष 2020 में यूनानी चिकित्साधिकारियों की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पिता-पति	पद नाम	पदस्थापन स्थान चिकि./औष.	जन्म तिथि (सेवा पंजिका के अनुसार)	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री उस्मान कासमी/ श्री हाजी भीर	सहा. निदेशक	निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर	10.06.1960	30.06.2020
2	श्री इलियास अहमद / श्री बशीरुद्दीन	यू.चिकि.	राज. यूनानी औषधालय महुवा-दौसा	22.12.1960	31.12.2020
3	श्री इज्जतुल्ला खां/ श्री हिकमत उल्ला खां	यू.चिकि.	राज. यूनानी औषधालय थोस-अलवर	15.05.1960	31.05.2020
4	श्री नवाजुल हक/ श्री इसरारुल्ल हक	यू.चिकि.	राज. यूनानी चिकित्सालय गंज-अजमेर	15.06.1960	30.06.2020
5	श्रीमती तोहिद फातिमा/ श्री जफर अली	यू.चिकि.	राज. यूनानी औषधालय तोपखानादेश-जयपुर	01.09.1960	31.08.2020
6	श्री इसहाक अहमद/ श्री मुहम्मद बख्श	यू.चिकि.	राज. यूनानी औषधालय गामड़ीदेवल-डूंगरपुर	16.10.1960	31.10.2020

प्रमाण-पत्र

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

-34-

(एच.एम.ढाका)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in

क्रमांक: प्रति.1/यू.चि./से.नि.-20/2019-20/4176-89

प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 22.7.19

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शन कल्याण विभाग, जयपुर/भरतपुर/अजमेर/उदयपुर।
5. यूनानी चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी औषधालय /चिकित्सालय
6. संबंधित चिकित्साधिकारी श्री
7. लेखाशाखा/स्टोर, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

नोट उक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के सम्बंध में निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डुमरुवा
(डॉ. मु. असलम खां)
निदेशक